

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर

कोटेशन सूचना

पत्रांक- सी0एम0ओ0 /कोटेशन/सूचना/2020-21

दिनांक-12.08.2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 चिकित्सालयों के माध्यम से उपयोग होने वाली औषधियों के मांग पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से कुछ औषधियां भण्डार में उपलब्ध नहीं है तथा उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइ कार्पोरेशन से भी प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसी औषधियां जिनकी उपलब्धता भण्डार में नहीं हैं उनके कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं जो फर्म सरकारी संस्थानों में औषधियों की आपूर्ति करती हैं वो अपने न्यूनतम दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय/भण्डार में 1 सप्ताह के अन्दर अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे अग्रतर की कार्यवाही की जा सके।

नियम एवं शर्तें-

- (1) फर्म के पास जी.एस.टी.एन. नम्बर होना अनिवार्य है। जिसकी फोटो कांपी कोटेशन के साथ संलग्न करें।
- (2) फर्म का पैन नम्बर, कोटेशन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (3) फर्म का खाता नम्बर, आई.एफ.एस. कोड, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी फर्म के लेटर पैड कोटेशन के साथ संलग्न करे।

प्रोफार्मा

क्र0स0	औषधि/सामग्री का नाम	बाजार दर	आपूर्ति दर	दर कर सहित
1	Inj. Meropenem+Sulbactam 1 gm			
2	Inj. Piperacillin+Tazobactam 4.5 gm			
3	Inj. Vancomycin 5 gm			
4	Inj. Amikacin 500 mg			
5	Inj. Enoxaparin			
6	Inj. Methylprednisolone			
7	Inj. epsolin			
8	Inj. Tramodal			
9	Asthalin respiratory sol.			
10	Budecort respiratory sol.			
11	Tab. Ascorbic acid 500 mg			
12	Tab. Ivermectin 6 mg			
13	Tab. Ivermectin 3 mg			
14	Cough. Syp			

औषधियों की सूची संलग्न है। न्यूनतम दर उपलब्ध करायें जा रहे प्रोफार्मे पर फर्म के लेटर पैड पर बन्द लिफाफे में ही उपलब्ध करायी जाये।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर

पत्रांक- सी0एम0ओ0 /कोटेशन/सूचना/2020-21

11003-87

दिनांक- 12.08.2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर के सूचना पट पर चिपकाने हेतु।
- (1) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय जौनपुर के सूचना पट पर चिपकाने हेतु।
- (3) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय जौनपुर के सूचना पट पर चिपकाने हेतु।
- (4) अधीक्षक टी0बी0 चिकित्सालय जौनपुर के सूचना पट पर चिपकाने हेतु।
- (5) एन0आई0सी0 जिलाधिकारी जौनपुर के साइड पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर